# Amar Ujala

## Indian Music Industry

**Date: 27-12-2007 | Edition: Delhi | Page: 6 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 16 H: 12**

**Clip: 1 of 1**


नववर्ष की तैयारी

# कई होटलों ने नहीं लिए लाइसेंस

**नई दिल्ली।** इस साल की आखिरी रात को यादगार बनाते हुए नए वर्ष का स्वागत करने के लिए दिल्ली के चार सौ से ज्यादा डिस्को थेक, होटल, रेस्टोरेंट व मोटल मालिकों ने तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन इन यादगार लम्हों को जवां बनाने के लिए यहां बजाए जाने वाले संगीत के लिए ली जाने वाली अनुमति ज्यादातर लोगों ने नहीं ली है। इंडियन म्युजिक इंडस्ट्री की शीर्षस्थ लाइसेंस प्रदाता पोनोग्राफिक पफोमेंस लिमिटेड (पीपीएल) ने अब तक दिल्ली के तीन सौ होटलों को म्यूजिक चलाने की फीस का भुगतान करने की वैध चेतावनी भेज रखी है। जिसके तहत अभी तक सिर्फ चालीस फीसदी होटलों ने ही अनुमति ली है। लिहाजा अब पीपीएल ने बिना अनुमति के संगीत बजाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई है।

## लाइसेंस

**दिल्ली-एनसीआर के चालीस फीसदी होटलों के पास है अनुमति**

पीपीएल के वरिष्ठ अधिकारी सौम्या चौधरी ने बताया कि बिना लाइसेंस के संगीत बजाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 100 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। जो कि दिल्ली व एनसीआर के होटल, रेस्टोरेंट, डिस्कोथेक व मोटलों पर नजर रखेगी और संगीत बजाकर लोगों का मंनोरंजन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि जितने होटलों को नोटिस भेजे गए थे। उनमें से सिर्फ 40 फीसदी ने ही लाइसेंस फीस चुकता करके अनुमति ली है। इसमे ज्यादातर सितारा होटल व रेस्टोरेंट हैं, जबकि डिस्कोथेक व मोटल मालिकों ने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है। पीपीएल के मुताबिक कम से कम पांच सौ लोगों की उपस्थिति में तीन घंटे संगीत बजाने के लिए 65250 रुपये (वैट अलग) बतौर लाइसेंस फीस अदा करनी होती है। यह रकम उनके द्वारा ग्राहकों से वसूली जा रही कीमत को देखते हुए एक फीसदी का दसवां हिस्सा भी नहीं है।